बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
संकल्प

बिहार राज्यपाल के आदेश से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–16 (क) के अन्तर्गत श्री नूर अहसन तत्कालीन सहायक, राजस्व पर्षद, बिहार सम्प्रति जिला नियोजन पदाधिकारी, सीतामढ़ी के विरूद्ध राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा कतिपय आरोप गठित किये थे। ये आरोप सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–362 दिनांक–10.01.14 द्वारा विभाग को प्राप्त हुये हैं। आरोप निम्नवत हैं–

I. अपने उच्चाधिकारियों के संबंध में उनके कार्यालय में जाकर अभद्र एवं असंसदीय भाषा का प्रयोग करना तथा अनुशासनहीनता प्रदर्शित करना,

II. बेतिया राज के मामलों का प्रभारी सहायक बनाये जाने पर उप सचिव, राजस्व पर्षद के आप्त सचिव से कार्य आबंटन से संबंधित संचिका की जबरन मांग करना एवं संचिका नहीं देने पर उत्तेजित होकर अमर्यादित आचरण करना तथा

III. सौपें गये पटल के कार्यो के निष्पादन में लापरवाही बरतना/संचिकाओं को काफी विलम्ब से उपस्थापित करना/कार्य अभिरूचि का अभाव।

2. उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प सं०–175 दिनांक–20.01.2016 द्वारा श्री नूर अहसन तत्कालीन सहायक, राजस्व पर्षद, बिहार सम्प्रति जिला नियोजन पदाधिकारी, सीतामढ़ी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी एवं उपरोक्त नियमावली के नियम 17 (5) (ग) के अन्तर्गत श्री भुवनेश्वर मिश्रा, तत्कालीन अपर निदेशक, श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन विभाग को इस कार्यवाही के संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी एवं राजस्व पर्षद, बिहार से मनोनित श्री कामदेव प्रसाद, अवर सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र–'क' में गठित कुल तीन (03) आरोपों पर विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें आरोपित पदाधिकारी श्री नूर अहसन के विरूद्ध आरोप संख्या 01 को आंशिक रूप से प्रमाणित, आरोप संख्या 02 को पूर्ण प्रमाणित एवं आरोप संख्या 03 को प्रमाणित नहीं पाया गया। अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा जॉच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त नैसर्गिक न्याय का अवसर देते हुए विभागीय पत्रांक–108 दिनांक–17.01.2017 एवं स्मार पत्रांक–365 दिनांक–16.02.2017 द्वारा श्री नूर अहसन को जॉच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी ।

4. तद् के आलोक में श्री नूर अहसन द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का स्पष्टीकरण पत्रांक–29 दिनांक–04.02. 2017 समर्पित किया गया, जिसकी अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। संचालन पदाधिकारी ने श्री नूर अहसन के विरूद्ध आरोप सं०–01 को इस आधार पर आशिंक रूप से प्रमाणित पाया है कि यदि आरोपित पदाधिकारी ने कोई गलती नहीं की थी फिर उन्हें उप सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार से माफी मांगने कर क्या आवश्यकता थी। श्री नूर अहसन ने अपने द्वितीय कारण पृच्छा में यह उल्लेख किया है कि वरीय पदाधिकारी से क्षमा मांगना कार्यालय की मर्यादा है इसमें आरोप के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, परन्तु जैसा कि आरोपी पदाधिकारी के द्वारा उल्लेख किया गया है 'क्षमा मांगना' नहीं वरन् वरीय पदाधिकारी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार कार्यालय की मर्यादा है। ऐसी स्थिति में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार आरोप सं०–02 के संबंध में आरोपित पदाधिकारी श्री नूर अहसन ने

raju USB/90

स्वयं स्वीकार किया है कि वे उप सचिव, राजस्व पर्षद कि आप्त सचिव श्री बैजू प्रसाद के पास संचिका की जानकारी मांगने गये थे। यदि श्री अहसन पूर्व से कार्य बोझ से दबे हुए थे तो बेतिया राज का कार्य आवंटित किये जाने पर शालीनता से अपनी समस्या को अपने उच्च पदाधिकारियों के समक्ष पुनर्विचार हेतु अनुरोध कर सकते थे। अतएव आरोप संख्या 02 के पूर्ण प्रमाणित होन के संबंध में संचालन पदाधिकारी मंतव्य भी स्वीकार योग्य है। इस प्रकार आरोप संख्या 01 को आंशिक रूप से प्रमाणित पाये जाने एवं आरोप संख्या 02 को पूर्ण रूप से प्रमाणित पाये जाने के आलोक में श्री नूर अहसन के विरूद्ध असंचयात्क प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

5. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री नूर अहसन तत्कालीन सहायक, राजस्व पर्षद, बिहार सम्प्रति जिला नियोजन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

6. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

<u>ाबंधित डाक</u>

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री नूर अहसन तत्कालीन सहायक, राजस्व पर्षद, बिहार सम्प्रति जिला नियोजन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को निबंधित डाक से उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / —

(संजय कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप सं०—6 / श्रम वि० आ० (01)— 02 / 2014 श्र0सं0— पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि—प्रभारी पदाधिकारी, ई—गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो प्रति के साथ बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोघ है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियॉ विभाग को उपलब्ध करायें ।

ह0 / —

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप सं०—6 / श्रम वि० आ० (01)— 02 / 2014 श्र0सं0— पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै० दा० नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0 / —

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप सं०—6 / श्रम वि० आ० (01)— 02 / 2014 श्र0सं0— पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि—जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / —

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप सं०–6/श्रम वि० आ० (01)– 02/2014 श्र0सं0– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्र ज्ञापांक–362 दिनांक–10.01.2014 के प्रसंग में / अवर सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप सं०–6/श्रम वि० आ० (01)– 02/2014 श्र0सं0– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– श्री कामदेव प्रसाद, अवर सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार –सह– प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप सं०–6/श्रम वि० आ० (01)– 02/2014 श्र0सं0– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– श्री नूर अहसन तत्कालीन सहायक, राजस्व पर्षद, बिहार सम्प्रति जिला नियोजन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप सं०–6/श्रम वि० आ० (01)– 02/2014 श्र0सं0– 1366 पटना, दिनांक–05/6/2017

प्रतिलिपि– निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/सभी अपर सचिव श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी गोपनीय चारित्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना /लोक सूचना पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग एवं सभी प्रशाखा पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(signature) 05/6/17

सरकार के अपर सचिव

raju USB/92